5/2/26 पत्रावली पेश हुई। उप पत्र नीलाम किया जाकर पत्रावली किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली दाखिल दफ्तर होकर [illegible] हो।

आदेश सुनाया गया।

हस्ता०

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:08:36 IST
Reason: SelfAttested

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करौली

## पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना (आर.ए.एस)

| मु0 / न0 | किस्म मुकदमा | तारीख रजू | तारीख फैसला |
|---|---|---|---|
| 21 / 25 | 128<br>एलआर एक्ट | 03.04.2025 | 05.02.2026 |

### उनवान

रूमा पत्नी मुन्ना आयु 55 साल जाति मीना निवासी रतियापुरा तहसील मासलपुर जिला करौली राज0

—प्रार्थीयान

**बनाम**

1. हीरालाल पुत्र रामफूल उम्र 70 साल
2. रामरज पुत्र रामफूल उम्र 50 साल
3. रंगलाल पुत्र रामफूल उम्र 55 साल
4. रतनवाई पत्नी रामफूल उम्र साल
5. राजाराम उम्र 50 साल
6. पंखीलाल आयु 75 साल
7. सुआलाल आयु 58 साल
8. सियाराम उम्र 48 साल

(5 से 8) पिसरान फैली जिला करौली राज0

9. भौरीवाई पुत्री फैली आयु साल
10. रामसहाय उम्र साल
11. श्रीराम उम्र साल
12. रामा उम्र साल

(10 से 12) पिसरान रूपचंद

13. शीला देवी पत्नी हीरालाल उम्र 68 साल
14. कृपाल उम्र 50 साल

(1 से 14) जातियान मीनागण निवासीयान रामापुरा तहसील मासलपुर

15. माखन आयु 55 साल
16. राजनसिंह आयु 30 साल
17. हैमसिंह उम्र 25 साल

(15 से 17) पिसरान शिवचरण जाति मीना निवासी गोठरा तहसील मासलपुर जिला करौली राज0

18. ओम प्रकाश आयु 30 साल
19. दुर्गा आयु 35 साल
20. हजारी आयु 40 साल

(18 से 20) पिसरान चिंरजी जातियान गौड निवासीयान केसरीसिंह का पुरा तहसील मासलपुर जिला करौली राज0

21. ढरकी पत्नि चिरंजी आयु 55 साल जाति गौड निवासी केसरीसिंह का पुरा तहसील मासलपुर जिला करौली राज0
22. ऋषिबाई पत्नी हेमसिंह आयु 60 साल
23. पूरनबाई पत्नी कृपाल आयु 65 साल
24. समयबाई पत्नि रजन आयु 45 साल

(22 से 24) जातियान मीना निवासीयान गोठरा तहसील मासलपुर जिला करौली राज0

25. तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली राज0

—अप्रार्थीगण

**प्रार्थना—पत्र धारा 128 एल आर एक्ट**

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj
Date: 2026.05.04 13:08:36 IS
Reason: SelfAttested

**—::निर्णय::—** दिनांक—05.02.26

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 3407 / 2088 रकवा 1.0117 हैक्टेयर खसरा नम्बर 0.5059 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकवा 2.0235 हैक्टेयर ग्राम केसरीसिंह का पुरा पटवार हल्का फतेहपुर तहसील मासलपुर में स्थित है उक्त आराजीयात प्रार्थीया के खातेदारी व कब्जे काश्त की है सबूतन नकल जमाबंदी संवत 2072—2075

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हैं। आराजी खसरा नम्बर 2088/2 रकवा 3.7939 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3428/2088 रकवा 1.0117 हैक्टेयर ग्राम केसरीसिंह का पुरा अप्रार्थी नम्बर 1ता 11 के खातेदारी व कब्जे काश्त की है एवं खसरा नं0 3405/2088 रकवा 1.0117 हैक्टेयर ग्राम केसरीसिंह का पुरा अप्रार्थी नं0 12 के खातेदारी व कब्जे काश्त की है एवं खसरा नम्बर 3419/2088 रकवा 2.0234 हैक्टेयर ग्राम केसरीसिंह का पुरा अप्रार्थी नं0 13 ता 16 के खातेदारी व कब्जे काश्त की है एवं खसरा नम्बर 3421/2088 रकवा 1.0117 हैक्टेयर ग्राम केसरीसिंह का पुरा अप्रार्थी नं0 17 ता 20 के खातेदारी व कब्जे काश्त की है एवं खसरा नम्बर 3426/2088 रकवा 2.5393 हैक्टेयर ग्राम केसरीसिंह कापुरा पटवार हल्का फतेहपुर तहसील मासलपुर अप्रार्थी नं0 21 ता 23 के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। प्रार्थीया दिनांक 09/02/2025 को अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात दर्ज प्रार्थना पत्र मद नं0 1 की चारों ओर से पत्थर व खण्डो की पुख्ता दीवार कराने के लिए अपने साथ 10–12 मजदूरों को लेकर व पत्थर व खण्डो की दो ट्रोलियों लेकर अपनी आराजी पर पहुंची तो अप्रार्थी नं0 1 ता 23 एकराय होकर प्रार्थीया की आराजी पर आ गए और प्रार्थीया को पत्थरों की दीवार नही करने की कहां प्रार्थीया ने भूमि अपनी खातेदारी की होने की कहां तब अप्रार्थी संख्या 1 ता 23 ने प्रार्थीया से कहां कि जब कि तहसीलदार मासलपुर अप्रार्थी नं0 24 से पत्थर गढी नही करायेगी तब तक प्रार्थीया को दीवार निर्माण नही करने देंगे। प्रार्थीया की फसल को बिना दीवार होने के कारण मवेशियों उजाड कर नष्ट कर देती ह ैजिससे प्रार्थीया उचित फसल लाभ प्राप्त नही कर पाती है इसलिए प्रार्थीया को यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 में दर्ज आराजीयात में प्रार्थीया की काश्त की गयी फसल मौके पर खडी हुयी है अप्रार्थीयान बिना पत्थरगढी हुये प्रार्थीया को दीवार निर्माण नही करने दे रहे है। इसलिए प्रार्थीया खातेदारी की भूमि की अप्रार्थी संख्या 24 तहसीलदार मासलपुर से पत्थरगढी कराने की अधिकारी है। प्रार्थीया [illegible] से अप्रार्थीयान नम्बर 1 ता 23 की भूमि सटी हुयी है [illegible] पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। वादग्रस्त आराजी[illegible] का पुरा तहसील मासलपुर में स्थित है इसलिए न्यायालय श्रीमान को प्र[illegible]ना पत्र सुनवाई का हक हासिल है। अंत में पत्थरगढी कराये जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by PremRaj Meena
Date: 2026.05.04 13:08:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील

अधिकारी करौली (राज0)

जबाव पेश नही कर सीधे प्रार्थना पत्र बहस की। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जमाबंदी संवत 2072–75 से भूमि प्रार्थीयान की खातेदारी व कब्जे की होना एवं वादग्रस्त भूमि का प्रार्थीयान व अप्रार्थीयान के मध्य सीमा विवाद होना प्रकट होता है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में अप्रार्थीयान द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में पेश नहीं किया है जिससे भूमि उनके कब्जे की हो। प्रार्थीयान अपनी भूमि की पत्थरगढी सीमांकन कराने के अधिकारी है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीयान स्वीकार किये जाने योग्य है।

## –::आदेश::–

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम केसरीसिंह का पुरा तहसील, मासलपुर व जिला करौली में उसके खाते की कृषि भूमि आराजी खसरा नंबर 3407/2088 रकबा 1.0117 है0, खसरा नंबर 3410/2088 रकबा 0.5059 है0, खसरा नंबर 3420/2088 रकबा 0.5059 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.0235 है0 की पत्थरगढ़ी, बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए तहसीलदार, मासलपुर को 1500/–रूपये फीस पर कमिशनर नियुक्त किया जाता है। कमिशनर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जायेगी। तहसीलदार, करौली सभी पडौसियान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र के समय एवं तिथि सूचित करेंगे। मौके पर खडी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर सीमांकन कर पत्थरगढी किऐ जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार, करौली को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

**निर्णय आज दिनांक 05.02.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:08:36 IST
Reason: SelfAttested

(प्रेमराज [illegible]ना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली